

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2047/2024

- मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार राजस्थान, दूरसंचार परिमंडल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
- सहायक महाप्रबंधक (भर्ती एवं स्थापना), भारत संचार निगम लिमिटेड, मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, दूरसंचार राजस्थान, दूरसंचार सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सुभाष कुमार यादव पुत्र स्व. बंशीधर यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम लालपुरा, जिला जयपुर, (राज.)-303706

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री. जितेंद्र शर्मा

प्रतिवादी (ओं) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

15/02/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

- यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित दिनांक 16.08.2023 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें उत्तरदाता की अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को वापस भेज दिया गया है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक के पिता श्री बंशीधर यादव की वर्ष 2006 में दूरसंचार विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उत्तरदाता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे वर्ष 2008 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदक के पास अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु जरूरतमंद कहलाने हेतु न्यूनतम 55 अंक नहीं थे। न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती में, आदेश को 08.11.2019 को रद्द कर दिया गया और मामले को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया कि यह ध्यान में रखा जाए कि आवेदक का परिवार किराए के मकान में रह रहा था। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष 08.11.2019 के आदेश को दी गई चुनौती में असफल रहा।

3. अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रार्थना को 19.07.2021 को फिर से खारिज कर दिया गया, जिसमें उत्तरदाता द्वारा यह साबित करने के लिए किराया विलेख प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए दस अंक नहीं दिए गए कि कर्मचारी की मृत्यु के समय परिवार किराए के मकान में रह रहा था। उत्तरदाता ने यह कहते हुए अस्वीकृति को चुनौती दी कि आक्षेपित आदेश न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर पारित किया गया था। उत्तरदाता सफल हुआ और न्यायाधिकरण ने माना कि 19.07.2021 का आदेश न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना में पारित किया गया था। यह भी माना गया कि फील्ड ऑफिसर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि मृतक कर्मचारी का परिवार किराए के आवास में अत्यन्त दयनीय स्थिति में रह रहा था। आदेश को रद्द कर दिया गया और उत्तरदाता को निर्देश दिया गया कि यदि कानून के अनुसार अन्यथा योग्य पाया जाता है तो आवेदक के अनुरोध पर पुनर्विचार करें।

4. न्यायाधिकरण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले पर पहले ही पुनर्विचार किया जा चुका है और पारित आदेश न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुरूप है।

5. न्यायाधिकरण के वकील द्वारा उठाया गया तर्क निराधार है। फील्ड ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस आशय की थी कि मृतक कर्मचारी का परिवार, जो किराए के मकान में गरीबी की हालत में रह रहा था, को चुनौती नहीं दी जा रही है। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया, आदेश को रद्द करने और अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का औचित्य सिद्ध करता है। रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(शुभा मेहता),जे

(अवनीश झिंगन),जे

सिम्पल कुमावत/03

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate